

कार्यालय नगरपालिका निगम, रतलाम (म.प्र.)

Municipal Corporation Office, Ratlam M.P. (RMC) 01, College Road, Ratlam (457001), Tel: 07412- 0555
Fax : 07412-270556, E-mail: commratlam@mpurban.gov.in Website: www.rmcratlam.in

क्रमांक / 940 / स्था.शाखा / 2026

--- विज्ञापन ---

रतलाम, दिनांक : 27.10.2026

कार्यालय का नाम- नगर पालिका निगम, रतलाम (म.प्र.)

विशेष दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी किये जाने वाले विज्ञापन का प्रारूप मध्यप्रदेश शासन द्वारा पत्र क्रमांक एफ 8-2/2013/आ.प्र./एफ/ (गार्ट) मोपाल, दिनांक 09/10/2026 अनुसार "विशेष दिव्यांगजन भर्ती अभियान" के अंतर्गत 09 अक्टूबर 2026 से 31/12/2026 निर्धारित की गयी है।

प्रकरण में शासन आदेशानुसार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद माती प्रशिक्षित तृतीय श्रेणी चौकीदार व मृत्यु चतुर्थ श्रेणी के पदों की पूर्ति ऑन-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से नगर पालिका निगम, रतलाम द्वारा की जाना है एवं शासन द्वारा दिये निर्देशानुसार "भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण करते" हुए दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग पदों की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के आरक्षित पद/पदों की पूर्ति भर्ती की जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं आईता रखने वाले अभ्यर्थी नीचे दर्शाये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भर कर दिनांक 28/11/2026 को कार्यालयीन समय सांयकाल 06:00 तक आवेदन-पत्र प्रेषित करें। निर्धारित समयवधि में आवेदन-पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निकाय/ कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता अनुसार निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों की लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियाँ			निर्धारित योग्यता	सभी भर्ती प्रक्रिया अनुसार की जावेगी।	
				दृष्टी बाधित और कम दृष्टि,	बहरे और कम सुनने वाले,	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, संरेखण पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बीनापन, एसिड अटेक पीडित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी	ऑरिजिन, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता		
01.	माती (प्रशिक्षित)	तृतीय	19500—62000 एल-4	0	0	1	0	कक्षा 8 की उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण अथवा 05 वर्ष का अनुभव	कक्षा 10 उत्तीर्ण
02.	भृत्य	चतुर्थ	15500—49000 एल-1	1	0	0	0	कक्षा 10 उत्तीर्ण	—
03.	चौकीदार	चतुर्थ	15500—49000 एल-1	0	1	0	0	कक्षा 10 उत्तीर्ण	—

मुख्य शर्तें:-

- आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- समस्त प्रमाण-पत्रों को सहम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरान्त प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावे।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 मोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग-अनु.जा.अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वाशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/नि:शक्तजन/महिलाओं (विधवा/आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/3-एक मोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 मोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- आवेदक को ऑन-इन-इन्टरव्यू के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाकर अनिवार्य है।
- नि:शक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो मान्य होगा।
- डिजिटल जाति मूल निवासी प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र एवं सहम अधिकारी द्वारा जारी किया हो मान्य होगा।
- आवेदकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- अपूर, अस्पष्ट एवं अतृतीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्तें कार्यालयीन समय में निगम/निकाय से प्राप्त की जा सकती है।
- यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए आवेदन मान्य माना जायेगा।
- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पर के लिये निर्धारित समस्त आईताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण करता है।
- आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व में सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
- आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्ति होगे।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण दिये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहारिया/सहरिया, मारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को प्रथम से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण हैं एवं विहित प्रारूप में नहीं हैं वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कुट्टरलिखित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपांतरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिये जायेंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्किक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिये जायेंगे।
- दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग हैं यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरान्त ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
- यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के नि:शक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
- जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 का या उसके पश्चात हुआ है, परन्तु निर्वाहित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13 /2019 /3 /एक मोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 03 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।
- दिव्यांगजनों हेतु चिह्नित पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर पालिका सचिवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तों) सेवा, निगम 2021 में विहित प्रावधानानुसार की जावेगी।
- नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

कार्यालय का नाम/पूरा पता/टेलिफोन नम्बर

01- आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम

02- आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम

03- आवेदक/आवेदिका की माता का नाम

04- आवेदक/आवेदिका की जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र/हाई स्कूल की अंकसूची अनुसार) वर्ष माह दिन

05- दिनांक को आयु वर्ष माह दिन

06- आवेदक/आवेदिका का लिंग (पुरुष/महिला/अन्य).....

07- नि:शक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी (हां/नहीं)

08- दिव्यांगता की श्रेणी एवं दिव्यांगता का प्रतिशत

09- आवेदक/आवेदिका की जाति

10- आवेदक/आवेदिका का यदि विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण-पत्र अनुसार विवाह की दिनांक

11- जीवित संतानों का विवरण

12- वर्तमान पता/पिन कोड

13- स्थाई पता/पिन कोड

14- पत्राचार का पता/पिन कोड

15- रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम

16- सचिवा पद हेतु अनुभव का विवरण

17- शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं (प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें)

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी

18- अनुभव यदि होतो उसका विवरण

19- अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण

20- ईमेल आई.डी.

21- मोबाईल नम्बर 1 2

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

--- घोषणा पत्र ---

"मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है। यह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावे।"

आवेदक के हस्ताक्षर

आयुक्त
नगर पालिका निगम रतलाम

स्व-प्रमाणित
पासपोर्ट साईज
का फोटो चस्पा
करे